न्यायालय विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ

उपस्थितः श्री अनिल कुमार एच0जे0एस0

फौजदारी निगरानी सं0: 129/2013

रामपती पत्नी रामदेव निवासी कन्धई मधुपुर थाना कन्धई जिला प्रतापगढ ।

निगरानीकर्ती

बनाम

राज्य उ0प्र0 व अन्य।

विपक्षीगण

<u>नि र्ण य</u>

यह फौजदारी निगरानी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा फौजदारी वाद संख्या 149/2015 रामपती बनाम शैलेश कुमार उर्फ डबलू व अन्य धारा 156(3) द0प्र0सं0 थाना कन्धई जिला प्रतापगढ़ में पारित आदेश दिनॉक 16.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी रामपती ने दिनांक 10.04.15 को अवर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अ0धारा 156(3) जा0फौ0 प्रस्तुत किया जिसमे कथन किया गया है कि वह गाटा संख्या 1586 व 1605क की तनहा भूमिधर है तथा उस पर काबिज दखील है । प्रार्थिनी के गांव के शैलेश कुमार उर्फ डबलू ,मुकेश कुमार , प्रमोद कुमार ,मिथुन सरोज , राम नरेश सरोज व उनके घर की महिलाये दिनांक 05.04.2015 को समय 2.00 बजे से 04.00 बजे शाम के बीच प्रार्थिनी के उक्त गाटा सं0 में बोई अरहर की फसल को चारी से काटकर उठा ले गये । प्रार्थिनी जानकारी होने पर उक्त लोगों के घर पूछने गयी तो उसे भद्दी –2 गालियां देते हुए लज्जा भंग करने की नियत से शारीरिक हमला करते हुए हाथ पकडकर घसीटने लगे । प्रार्थिनी को लात ,मूका से मारे पीटे । प्रार्थिनी के हल्ला गोहार पर गांव के तमाम लोग आ गये जिन्होने बीच बचाव किया तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । प्रार्थिनी ने घटना की सूचना थाना कन्धई जिला प्रतापगढ में दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थनापत्र पर सुन कर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 16.04.15 को प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया । जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती ने प्रस्तुत निगरानी योजित की है।

निगरानी के आधारो में कहा गया है कि आदेश दिनांकित 16.04.2015 तथ्य एवं परिस्थितियों के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों जो आपराधिक मामला प्रकट करता है उस मामले को दीवानी प्रकृति का

मामला समझने एवं दीवानी के मुकदमें दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना समझने में भूल की है । प्रश्नगत आदेश के बने रहने से उत्तरदातागण 2 ता 7 के मनोबल में बृद्धि होने की पूरी सम्भावना है । उत्तरदातागण 2 ता 7 धनबल व जन से मजबूत है जिनका मुकामी पुलिस पर असर व दबाव रहता है । प्रश्नगत आदेश के बने रहने से निगरानीकर्ती पर भविष्य में प्राण घातक हमला होने की पूरी सम्भावना है । निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है ।

उक्त निगरानी के विरुद्ध उत्तरदाता प्रमोद कुमार की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि श्रीपाल वर्मा की मृत्यु के पश्चात् उनके चारों लडके जरिये वरासत जायज वारित कायम हुए । प्रश्नगत निगरानी में जिस सम्पत्ति का विवाद बताया जा रहा है उस सम्पत्ति को दिखाकर गिरानीकर्ती के पति रामदेव व अन्य भाई ने चाहद्दी पुरानी गाटा संख्या 1225 आदि से बनी नई गाटा संख्या 1586 व 1605 क डाला और बैनामा पुरानी गाटा संख्या 1876 आदि से बनी नई गाटा संख्या 2154 व 2157 कर दिया तब से वह अनवरत काबिज दखील चला आ रहा है । श्रीपाल के लडके राम चन्द्र के कोई पुरुष सन्तान नही थे उन्होने 10 विस्वा बैनामा आपत्तिकर्ता को दिया उसी बैनामे वाली भूमि को हडपने की नियत से श्रीपाल की मृत्यु के लगभग 20 वर्षो बाद निगरानीकर्ती व उनके पति रामदेव व उनकी देवरानी सीता देवी तथा देवर अनाजे प्रसाद ने एक फर्जी कूटरचित वसीयतनामा रचित किया जिसके खिलाफ आपत्तिकर्ता की मॉ अनारा देवी द्वारा थाना कन्धई में अपराध संख्या 93/15 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भा0 दं0 संहिता में दर्ज कराया है जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है । तथा कथित घटना दिनांक व समय पर आपत्तिकर्ता व मॉ कलावती महाविद्यालय मंगरौरा दरछुट पट्टी प्रतापगढ से बी0एड0 का छात्र रहा है । प्रश्नगत निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी है ।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

रिवीजनकर्ती की ओर से मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अ0धारा 156(3) जा0फौ0 में वर्णित तथ्यों से संज्ञेय अपराध का मामला बनता था । जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश अवर न्यायालय को देना चाहिए था , अपने तर्क के समर्थन में 2015 (88) ए.सी.सी. प्रथम इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ जगन्नाथ वर्मा बनाम स्टेट आफ यू.पी. तथा 2014 (84) ए.सी.सी.719 सु0 कोर्ट ललिता कुमारी बनाम स्टेट आफ यू.पी. की नजीर प्रस्तुत की जिसमें मान्नीय उच्चतम् न्यायालय तथा

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि थाने के भार साधक अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध होने की सूचना दी जाती है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है । यह कोई पूर्व शर्त नही है कि सूचना में विश्वसनीयता तथा औचित्यता हो । अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.04.2015 में रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र अ0धारा 156(3) जा0फौ0 इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि मामला दीवानी न्यायालय में लम्बित है और प्रार्थिनी ने उक्त तथ्य को छिपाया है ,मार पीट की कोई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी है ।

रिवीजनकर्ता ने अवर न्यायालय में दिये गये प्रार्थनापत्र अ0धारा 156(3) जा0फौ0 में कथन किया गया है कि दिनांक 05.04.2015 को गाटा संख्या 1586 व 1605क की वह तनहा मालिक व भूमिधर है तथा उस पर काबिज दखील है । उस पर खडी अरहर की फसल को विपक्षीगण काटकर ले आये पता चलने पर उनके घर गयी और आंगन में रखी फसल के बारे में पूछना चाहा तो शैलेश कुमार उर्फ डबलू ,मुकेश कुमार , प्रमोद कुमार भद्दी –2 गालियां देते हुए लज्जा भंग करने की नियत से शारीरिक हमला करते हुए हाथ पकडकर घसीटने लगे । प्रार्थिनी को लात ,मूका से मारे पीटे । उक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को अभियुक्तगण ने लात घूसा से मारा जिससे उसके शरीर पर कुछ न कुछ अवश्य चोटें आयी होगी ,परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट हो कि रिवीजनकर्ता को इस मार पीट में चोटें आयी हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विवाद गाटा सं0 1586 में बोई अरहर की खडी फसल से सम्बन्धित है । अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फोटों प्रति कागज सं0 4क/3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) प्रतापगढ में वाद सं0 202 /2014 लम्बित है अतः मामला सिबिल प्रकृति का प्रतीत होता है तथा मुकदमें में दबाव बनाने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र प्रतीत होता है । जहॉ तक लज्जा भंग करने का प्रश्न है निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि जब उसे जानकारी हुई तो वह उनके घर गयी तब विपक्षी ने उनके साथ लज्जा भंग की , परन्तु न तो कोई दिनांक व समय अपने प्रार्थनापत्र में दिया है जिस दिन प्रार्थिनी के साथ मार पीट व लज्जा भंग होने का कथन किया है ।रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर तथा प्रस्तुत केस के तथ्य एवं परिस्थितियों भिन्न – भिन्न होने के कारण इस केस पर लागू नही होती है अतः इसका लाभ रिवीजनकर्ता को नही मिल सकता ।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2015 में कोई विधिक त्रुटि नही है वह शुद्ध , वैध्य एवं औचित्यपूर्ण है इसमें हस्ताक्षेप की कोई आवश्यकता नही है । रिवीजन निरस्त किये जाने योग्य है ।

<u>आ दे श</u>

फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है । विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की एक प्रति के साथ नियमानुसार अवर न्यायालय को प्रेषित की जाय।

दिनांक 25.07.2015

(अनिल कुमार)
विशेष/ अपर सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनॉकित होकर आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

दिनांक 25.07.2015

(अनिल कुमार)
विशेष/ अपर सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़